"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मार्च 2018 — फाल्गुन 22, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2018/नौ/55-4. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों में तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों (अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-**
   (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2018 कहलायेंगे।
   (दो) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
   (तीन) राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. **परिभाषायें** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-
   (क) "परीक्षा एजेंसी अथवा एजेंसी" से अभिप्रेत है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी;
   (ख) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र/अधिसूचना/आदेशों के अंतर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (परिशिष्ट-एक);
   "वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है परिशिष्ट-एक का प्रमाणपत्र, जो कि नियमत: तहसील कार्यालय या उससे उच्च कार्यालय से जारी किया गया हो;

(ग) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;

(घ) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है महिला या निःशक्तजन संवर्ग;

(ड.) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय;

(च) ''परिषद'' से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली;

(छ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

(ज) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है नेशनल एलिजेबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (पोस्ट ग्रेज्युएट) NEET PG अथवा नियम 2 (क) में परिभाषित एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;

(ट) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा;

(ठ) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत कर्मचारी (नियमित/तदर्थ/संविदा), जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को शासकीय सेवा में 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, सेवारत अभ्यर्थी के रूप में पात्र होंगे;

(ड) ''अल्पसंख्यक महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित महाविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो; (जिस हेतु आवश्यक दस्तावेजों की समय–सीमा में प्रस्तुति संस्था की जिम्मेदारी होगी)

(ढ) ''बिना संवर्ग'' से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी, जो नियम 2 (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;

(ण) ''नि:शक्तजन'' से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी नि:शक्तजन (दिव्यांगजन), जैसा कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्तर्गत 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगुलेशन 2000' (जुलाई 2017 में संशोधित) के नियम क्रमांक 9 दो एवं तीन में लागू आरक्षण अनुसार पात्र हों; (नि:शक्तता हेतु प्रमाणपत्र परिशिष्ट–दो)

(त) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(थ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;

(ध) "अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक, जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में पात्र आवेदक है; टीपः– सेवारत अभ्यर्थी भी ऑनलाईन आवेदन में पात्र आवेदक होने चाहिए।

(न) "दस्तावेज'' से अभिप्रेत है मूल दस्तावेज।

3. सामान्य–

(एक) स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठयक्रम, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/विश्वविद्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार/महाविद्यालय, यथास्थिति, की प्रवेश परीक्षा, आबंटन तथा प्रवेश के दौरान समय–समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधन द्वारा शासित तथा विनियमित होंगी।

(दो) महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी व्यवसाय (प्रैक्टिस), अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा मान्य नहीं होगी।

(तीन) सभी पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। केवल पात्र पंजीकृत अभ्यर्थी को ही सीट आबंटित की जायेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि ऑनलाईन पंजीयन के दौरान वांछित सभी सत्य जानकारी ही प्रस्तुत करे तथा प्रस्तुत की गई जानकारी हेतु अभ्यर्थी ही पूर्णतः जिम्मेदार होगा। ऑनलाईन पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें, सही जानकारी के अभाव में प्रार्थी को आबंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(चार) अभ्यर्थी द्वारा NEET-PG/प्रवेश परीक्षा हेतु प्रेषित किये गये ऑनलाईन पंजीयन अर्थात् आवेदन पत्र के साथ, जो फोटो संलग्न किये है, उसी फोटो की ही प्रतियॉ सम्पूर्ण काउंसिलिंग एवं आबंटन पश्चात् संस्था में प्रवेश हेतु आवश्यक होगी।

(पांच) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग के दौरान अपलोड किये गये हस्ताक्षर के नमूने से, आबंटन उपरान्त आबंटित संस्था में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किये गये हस्ताक्षर का समान होना अवश्यक है। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थी, सीट आबंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा। परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा उपरान्त उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं बायोमेट्रिक विवरण का भी प्रवेश उपरान्त मिलान किया जाना, संस्था में प्रवेश के लिए आवश्यक होगा।

(छः) अभ्यर्थी द्वारा NEET-PG की रिजल्ट/स्कोर शीट स्क्रूटनी एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को छत्तीसगढ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) एवं छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(सात) सभी पी.जी. प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ राज्य की छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा के भीतर छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(आठ) छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में प्रति वर्ष 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं संस्था प्रमुख की अनुमति से कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप हेतु अधिकतम 10 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष के विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

टीपः– 1. अवकाश नियम सेवारत अभ्यर्थियों के लिये भी लागू होंगे।

2. अवकाश की निर्धारित सीमा 15 दिवस से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थित दिवस अवैतनिक अवकाश के खाते में विकलनीय होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस प्रति शैक्षणिक सत्र होगा।

(नौ) चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी, यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते है, तो पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लिखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार बंधपत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

(दस) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त विभाग में वापसी– पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना, पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढाया नहीं जाएगा । प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु इस अवधि के लिये कोई वृत्ति (स्टायपण्ड) अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा। चूंकि पूर्व में अवकाश में स्टायपण्ड का भुगतान किया जा चुका है एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि का ही स्टायपण्ड धन राशि उपलब्ध रहती है।

4. पात्रता : केवल उन अभ्यर्थियों (सेवारत अभ्यर्थियों सहित) को ही, प्रवेश हेतु पात्रता होगी, जो –

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (केवल नियमित सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर) (परिशिष्ट – एक) के अनुसार;

अथवा

अभ्यर्थी जिसने छत्तीसगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो।

(ग) जिसने परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणाम में, अनारक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 50 पर्सेंटाईल अंक, आरक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 40 पर्सेंटाईल अंक तथा अनारक्षित श्रेणी के शारीरिक रूप से निःशक्त संवर्ग के लिये 45 पर्सेंटाईल अंक प्राप्त किये हों।

अथवा

उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एवं केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक अर्जित किये हो तथा न्यूनतम अर्हकारी अंकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता/पूर्णन (rounding off) किया जाना, स्वीकार्य नहीं होंगे ।

(घ) किसी भी अभ्यर्थी (सेवारत सहित) जिसने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो।

अथवा

यदि संस्था द्वारा उक्त अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो उसे सीट परित्याग/निष्कासन तिथि से, यथास्थिति, डिग्री हेतु आगामी तीन वर्ष तथा डिप्लोमा हेतु आगामी दो वर्ष के लिये राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) वे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने के दिनांक से क्रमशः आगामी तीन/दो वर्ष तक राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन अखिल भारतीय कोटे से राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में हुआ हो तथा राज्य कोटे हेतु आयोजित काउंसिलिंग द्वारा भी उसे सीट आबंटित होने की स्थिति में उसे केवल एक ही सीट पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। राज्य कोटे से प्रवेश लेने की स्थिति में, अखिल भारतीय कोटे की सीट का परित्याग करने के उपरान्त ही, आबंटन के पात्र होंगे एवं प्रवेश ले सकेंगे।

टीप – अभ्यर्थी द्वारा राज्य अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित अवधि पूर्ण होने/न होने की स्थिति में, छत्तीसगढ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी वे स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे तथा बंधपत्र के अधीन की गई शासकीय सेवा की अवधि, बोनस गणना हेतु मान्य नहीं होगी।

5. **अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान :** अल्पससंख्यक संस्थान, अपने संस्थान में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे किंतु उन्हें इस अतिरिक्त अर्हता के मापदण्ड़ के संबंध में, परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी के पूर्व, संचालक को लिखित में सूचना देना होगा, जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

6. **सीटों का आरक्षण :**

(एक) सेवारत अभ्यर्थियों हेतु परिभाषित नियम 2 (ठ) के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रमों की 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होगी, जिन्होंने दूर–दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 03 वर्ष तक सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी समय–समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित दूर–दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में दो और वर्षों तक सेवा करेंगे। यह आरक्षण, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्तर्गत 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगुलेशन 2000' (जुलाई 2017 में संशोधित) के नियम 9 (1) (ख) के अधीन प्रदत्त है।

(दो) प्रत्येक शासकीय एवं निजी संस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिये 32%, अनुसूचित जाति के लिये 12% तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के लिये 14% आरक्षण रहेगा। उपरोक्त आरक्षण, छत्तीसगढ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम/नियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप रहेगा।

(तीन) महिला सवंर्ग हेतु 30% तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार निःशक्तजन संवर्ग हेतु 3% क्षैतिज आरक्षण होगा।

(आरक्षण लाभ हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अन्तर्गत 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगुलेशन 2000' (जुलाई 2017 में संशोधित) के नियम 9 (2)1(क) के अनुसार केवल निचले अंगों की अशक्तता के 40% से 70% तक ही पात्र माना गया है अतः इस हेतु 3% क्षैतिज आरक्षण की पात्रता की गई है।

(क) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें/प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी, पात्र नहीं होंगे, अर्थात्:–

(एक) ऊपरी अंग निःशक्तजन

(दो) दृष्टिबाधित निःशक्तजन

(तीन) बधिरीय निःशक्तजन

(चार) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता

(पांच) पात्रता प्रमाणपत्र, जो काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना न हो।

(चार) उपरोक्त उप–नियम 6 (दो) में उल्लिखित आरक्षण के अनुसार सीटों का विषयवार आबंटन, लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा, जिसकी सूचना संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

7. चयन प्रक्रिया :

(क) प्रवेश परीक्षा :–

(एक) स्नातकोत्तर एमडी/एमएस एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली/परीक्षा एजेंसी द्वारा घोषित वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश परीक्षा/NEET-PG के परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जायेगी।

(दो) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए तथा अपलोडेड मूल दस्तावेज ही मान्य होंगे। इसके पश्चात् कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।

(तीन) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी जानकारी, जैसे मूल निवासी, जाति एवं संवर्ग (महिला, निःशक्तजन) में चयन उपरांत कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणाम :–

(एक) जिन अभ्यर्थियों ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) के परिणाम उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आमंत्रित ऑन–लाईन आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक मूल निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये हों, उन अभ्यर्थियों को ही राज्य कोटे की प्राविण्य सूची में सम्मिलित किया जायेगा तथा आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(दो) सेवारत अभ्यर्थी (नियम 2 (ठ) के अनुसार पात्र) को भी प्रवेश हेतु, प्रवेश परीक्षा के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने होंगे। सफल सेवारत अभ्यर्थियों की संयुक्त प्रावीण्य सूची नियम 7 (ख) (चार) के अनुरूप निर्धारित बोनस अंकों को जोड़कर, संचालनालय द्वारा तैयार की जायेगी। दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन के समय देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी तभी वे बोनस अंक का लाभ ले सकेंगे।

(तीन) समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) अपने आवेदन परीक्षा परिणाम सहित संबंधित संचालनालय के संचालक अर्थात् संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे। संचालक, सेवारत अधिकारियों के आवेदन उपरान्त सेवानुसार बोनस अंक जारी करेंगे तथा ये अंक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त ही मान्य एवं प्रभावी होंगे।

बोनस अंक संबंधित सेवा प्रमाणपत्र परिशिष्ट–चार (अ) अथवा चार (ब) में आवेदक, समय–सीमा में ऑनलाईन आवेदन अपलोड कर, बोनस अंक का लाभ केवल प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही ले सकेंगे। बोनस अंक शामिल कर अंतिम प्रावीण्य सूची संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा तैयार की जायेगी। बोनस अंकों की गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किये जायेंगे एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार स्नातकोत्तर डिप्लोमा में आरक्षित सीटों हेतु पात्र होंगे।

(चार) सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर–से–मेरिट) ग्रामीण/अधिसूचित/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में उनकी की गई सेवा के लिए बोनस के अंक को जोड़कर निश्चित की जायेगी। ग्रामीण/अधिसूचित/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम NEET-PG परीक्षा के प्राप्तांक का अधिकतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में, अभ्यर्थी की आयु में वरिष्ठता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

(पांच) बोनस अंकों की गणना हेतु अधिसूचित/ चिन्हित सेवा क्षेत्र के अतिरिक्ति अन्य क्षेत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा सेवा के दौरान अनाधिकृत अनुपस्थिति/अवैतनिक अवकाश मान्य नहीं की जायेगी।

(छः) बोनस अंक की गणना :– तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सेवारत अभ्यर्थी ही, बोनस अंक हेतु पात्र होंगे तथा अधिकतम प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक का 30 प्रतिशत अंक ही बोनस अंक होंगे, जो कि प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक में प्रतिवर्ष निम्नानुसार के आधार पर जोड़े जायेंगे।

सेवांक का निर्धारण :– (छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा चिन्हित क्षेत्र मान्य होंगे) (परिशिष्ट–तीन)

(अ) परिशिष्ट–तीन की अनुसूचित क्षेत्र सूची में उल्लिखित दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक, बोनस अंक होंगे। दुर्गम अनूसूचित क्षेत्र में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक, बोनस अंक होंगे।

(ब) परिशिष्ट–तीन की अनुसूचित क्षेत्र सूची के सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष प्राप्तांक के 3 प्रतिशत अंक, बोनस अंक होंगे। सामान्य अनूसूचित क्षेत्र में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष प्राप्तांक के 3 प्रतिशत अंक, बोनस अंक होंगे।

(स) परिशिष्ट–तीन की अनुसूचित क्षेत्र सूची के दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र तथा सामान्य अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्र के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करने हेतु बोनस अंक की पात्रता नहीं होगी, किन्तु वे 50 प्रतिशत आरक्षित सेवारत डिप्लोमा हेतु पात्र रहेंगे।

टीप :– यदि 01 वर्ष की सेवा उपरोक्त (अ)(ब) चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से पूर्ण होने पर न्यूनतम अंक से उस वर्ष की गणना की जायेगी।

(ग) राज्य की उपलब्ध सीटों पर, प्रावीण्य सूची के अनुसार तथा नियम 8 में यथा उल्लिखित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा, अभ्यर्थियों को महाविद्यालयवार एवं संकायवार पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

(1) स्नातकोत्तर एमडी/एमएस एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली अथवा परीक्षा एजेंसी द्वारा घोषित वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु NEET-PG अथवा प्रवेश परीक्षा के परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जायेगी।

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक में नियम 7 (ख) (छः) के अनुसार सेवांक को जोड़कर, सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक प्राविण्य सूची स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार करेगी।

(2) सेवांक प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक के अधिकतम 30 प्रतिशत अंक ही बोनस अंक होंगे, जो कि प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक में नियम 7 (ख) (छः) के अनुसार गणना कर प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।

(3) सेवांक की गणना, नियम 7 (ख) (छः) के अनुसार की जायेगी।

(4) एजेंसी के द्वारा तैयार किये गये परिणाम के आधार पर, पात्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य में आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के आवेदकों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची घोषित की जायेगी, जिसमें अंकों के अतिरिक्त जन्म तिथि, श्रेणी, निःशक्तता प्रतिशत और संवर्ग भी दर्शित होंगे। उपरोक्तानुसार तैयार प्रावीण्य सूची से पात्र अभ्यर्थियों को आबंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी।

(5) प्रावीण्य सूची में नियम 7 (ग) (1) एवं नियम 7 (ग) (2) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही प्रावीण्य सूची एवं सेवारत अभ्यर्थी, प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होंगे।

(6) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों पर, प्रावीण्य सूची के अनुसार नियम 8 में यथा उल्लिखित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा, पात्र अभ्यर्थियों को महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

8. काउंसिलिंग प्रक्रिया –

(1) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की विषयवार विस्तृत जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेब साइट www.cgdme.co.in में प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन सीटों में प्रवेश के लिये, प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालनालय द्वारा निम्नलिखित रीति में ऑनलाइन/ऑफलाइन (प्रत्यक्ष) काउंसिलिंग की जायेगी :–

(क) उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, संचालनालय द्वारा तीन चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी, संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी। प्रथम दो चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी एवं तृतीय चरण का अंतिम आबंटन (Mop-Up Round) प्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।

(ख) ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, प्रवेश से पूर्व मूल दस्तावेजों की संवीक्षा एवं आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी।

(ग) ऑनलाईन आवेदन सहित पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु आवेदन शुल्क रू. 2000/— का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा।

(घ) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे।

(ङ) एक बार अंतिमिकरण हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, किन्तु काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नई सीटें, जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हों, के लिये प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन मान्य होगा;

(च) विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक, जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प (संस्था एवं विषय) नहीं भरा है, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे;

(छ) प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा, जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा;

(ज) आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा करानी होगी, जिसमें अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश लेने या प्रवेश न लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। यद्यपि आबंटित संस्था में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों के प्राथमिकता क्रम से तत्समय आबंटित सीट/पाठ्यक्रम का विकल्प स्वयमेव विलोपित हो जायेगा। आबंटित संस्था में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के समय आगामी चरणों की काउंसिलिंग में बने रहने अथवा प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग से बाहर जाने का विकल्प भर सकेंगे।

प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसिलिंग अथवा अंतिम आबंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी, संस्था में द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात् निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लिखित निर्धारित बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी।

(झ) उपरोक्त उप–नियम (ज) का अनुपालन करते हुए, अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते है।

(ञ) वे अभ्यर्थी, जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी के अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी;

(ट) आबंटन उपरान्त संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया :–

(एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा पश्चात् चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा;

(दो) मूल दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;

(तीन) यदि उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;

(चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित तिथि के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा तद्नुसार आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा;

(पॉच) जमा की गई शुल्क वापसी योग्य नहीं होगी;

(छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा।

(ठ) काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र, जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही, द्वितीय कांउसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आबंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आबंटित की जाती है, तत्क्षण ही उसकी प्रथम कांउसिलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रावीण्यतानुसार अगले अभ्यर्थी को आबंटित कर दी जाती है, अतः पूर्व में प्रथम कांउसिलिंग में आबंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते है। किन्तु उपरोक्त उप–नियम (ज) का अनुपालन करते हुए, अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते हैं।

(ड) काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।

(ढ) द्वितीय काउंसिलिंग पश्चात किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीटों को "अंतिम प्रवेश आबंटन प्रक्रिया" से भरा जायेगा, जिसमें पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। यह अंतिम प्रवेश आबंटन, प्रत्यक्ष काउंसिलिंग प्रक्रिया से होगी। जिस हेतु अभ्यर्थी की संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया, आबंटन स्थल पर पूर्ण होगी, जिस हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

9. आरक्षित श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों का अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (अंतरण) :

(1) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित/अंतरित किया जायेगा।

(2) किसी भी श्रेणी के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रथमतः उक्त मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित किया जायेगा।

(3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा, फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्त सीटों को उपरोक्त उल्लिखित उप–नियम अनुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जायेगा।

उदाहरण : मान लो, यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की निःशक्त संवर्ग की सीट रिक्त रह जाती है तो प्रथमतः उसके संवर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तित हो कर वह सीट बिना संवर्ग की सीट हो जायेगी, इस प्रकार वह सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी की बिना संवर्ग की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी बिना संवर्ग की सीट रिक्त रह जाती है तो उसकी श्रेणी परिवर्तित किया जायेगा जिससे वह अनुसूचित जाति के बिना संवर्ग की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। इससे स्पष्ट है कि किसी भी संवर्ग की सीट पहले बिना संवर्ग में परिवर्तित होगी उसके पश्चात् ही उसका श्रेणी परिवर्तन नियमतः होगा।

10. निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों का अभ्यर्पण (सरेण्डर) : द्वितीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग उपरान्त, यदि निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय को अभ्यर्पण कर दिया जायेगा, जिस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अथवा बाहर के अभ्यर्थी भी पंजीयन कराकर आबंटन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, किन्तु आरक्षित श्रेणी के पात्रता प्रतिशतमक के लाभ हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सीटों का आबंटन केन्द्र शासन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी की उपस्थिति में प्रावीण्यतानुसार ही किया जा सकेगा।

11. **छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता :** एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सीटों के अन्तर्गत राज्य कोटे से अथवा अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, दो वर्षों की कालावधि तक छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करेंगे। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रू. 50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रू. 40 लाख का बंधपत्र निष्पादित करना होगा (बंधपत्र (बॉण्ड) का प्रारूप परिशिष्ट–पॉच (क) एवं पॉच (ख))।

    टीप :– पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् 15 दिवस में अभ्यर्थी कार्यालय आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दो वर्ष बॉण्ड सेवा हेतु आवेदन करेगा एवं कार्यालय संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त आवेदन की प्रतिलिपि देगा। यदि आवेदन तिथि से एक वर्ष की अवधि में उसका/उसकी बॉण्ड सेवा हेतु नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते है तो अभ्यर्थी स्वतः ही बॉण्ड सेवा से मुक्त हो जायेगा।

12. **प्रवेश रद्द करना :** यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर या गलत जानकारी देकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को किसी गलती (चूक) से प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश, संस्थान प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा का निर्णय, सभी पर बंधनकारी होगा।

13. केन्द्र शासन द्वारा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।

14. **कठिनाइयों का निराकरण :** यदि इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इन नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, कठिनाईयां दूर कर सकेगी।

15. **प्रावीण्य सूची की समाप्ति :** प्रवेश वर्ष की 31 मई अथवा केन्द्र शासन या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश हेतु जारी समय–सारणी के अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त, प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें कालातीत हो जायेंगी।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति** : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा से संबंधित पूर्व के समस्त नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

परिशिष्ट– एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक .... दिनांक......................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री...आत्मज / आत्मजा / पत्नी.

....निवासी...तहसील.................

.... जिला ....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तो में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,
4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है ।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :–

   (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

   (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमिडियेट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

   (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

   (क) छत्तीसगढ राज्य में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

   (ख) छत्तीसगढ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

   (ग) छत्तीसगढ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

   (घ) छत्तीसगढ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

परिशिष्ट–दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.–0771–2234451, फैक्स नं. 0771–2222212 E-mail cgdme@rediffmail.com

क्रमांक / /संचिशि/2015 रायपुर, दिनांक/

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., पिता श्री ...., उम्र–.................वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक................के साथ संलग्न जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाणपत्र क्रमांक................, दिनांक....................के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्तता ....पाई गई। उनकी कुल निःशक्तता .... प्रतिशत है।

पहचान का निशान ....

(अध्यक्ष) **(सदस्य)** **(सदस्य)**

राज्य मेडिकल बोर्ड राज्य मेडिकल बोर्ड राज्य मेडिकल बोर्ड

परिशिष्ट–तीन

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4–1/2014/1–3, नया रायपुर, दिनांक 03/06/2015 तथा परिपत्र दिनांक 31/07/2015 के अनुसार)

दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र

स. क्र.	जिला	जिला/विकासखण्ड
1.	सुकमा	सम्पूर्ण जिला
2.	दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
3.	नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला
4.	बीजापुर	सम्पूर्ण जिला
5.	कांकेर	कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल एवं अन्तागढ़ विकासखण्ड

सामान्य अनुसूचित क्षेत्र

स. क्र.	जिला	जिला/विकासखण्ड
1.	बस्तर	सम्पूर्ण जिला
2.	कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला
3.	सरगुजा	सम्पूर्ण जिला
4.	कोरिया	सम्पूर्ण जिला
5.	बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला
6.	सूरजपुर	सम्पूर्ण जिला
7.	जशपुर	सम्पूर्ण जिला
8.	कोरबा	सम्पूर्ण जिला
9.	धमतरी	नगरी विकासखण्ड
10.	बालोद	डौंडी विकासखण्ड
11.	कांकेर	कांकेर, चारामा एवं नरहरपुर, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड
12.	गरियाबंद	गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर विकासखण्ड
13.	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड
14	रायगढ़	खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड

परिशिष्ट–चार (अ)

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाणपत्र का प्रारूप "अ"

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

सेवा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता / पति ....
..
ने दिनांक ....से दिनांक ....की अवधि में कुल ....वर्ष..............
.माह तक चिकित्सक / शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय .... (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र) में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल .... (अंकों में) ....(शब्दों में) सेवांक की पात्रता है।

टीप : वे ही "सेवारत अभ्यर्थी" बोनस अंक हेतु पात्र होंगे, जो संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत कर्मचारी हों और जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को शासकीय सेवा में 3 वर्ष पूर्ण कर ली हों।

संचालक

चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट–चार (ब)

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाणपत्र का प्रारूप "ब"

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता / पति........................ ..ने दिनांक...से दिनांक..की अवधि में कुल ....वर्ष........................माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

(क) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष...........माह

(ख) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष...........माह

(ग) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष...........माह

(घ) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष...........माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल .... (अंकों में) ....(शब्दों में) सेवांक की पात्रता है।

टीप : वे ही "सेवारत अभ्यर्थी" बोनस अंक हेतु पात्र होंगे, जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत कर्मचारी हों और जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को शासकीय सेवा में 3 वर्ष पूर्ण कर ली हों।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट–पांच (क)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) का प्रारूप) .

1. मैं.....................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी........... .छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

2. यह कि मुझे वर्ष .... में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय..............................में शैक्षणिक सत्र .... में .... सीट आबंटित की गई है।

3. यह कि वर्ष .... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक...................रायपुर दिनांक ....छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के नियम ...... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंधपत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियॉ दी गई हैं, जिसे मैंने भली–भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा बंधपत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता/करती हूँ . कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

5. यह कि इस बंधपत्र का उल्लंघन होने की दशा में, शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से अथवा इस बंधपत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री.... .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी...................... ....की चल एवं अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बंधपत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए..) की वसूली और साथ ही पाठ्यक्रम

अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी एवं राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।

8. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बंधपत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय मान्य होगा।

गवाह :

हस्ताक्षर

1................................हस्तााक्षर

आवेदक/ निष्पादनकर्ता

2............................... हस्तासक्षर

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी ....उपरोक्तानुसार बंधपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बंधपत्र के उल्लघन की दशा में, बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

परिशिष्ट–पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.....................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी.....................
.. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक ....: ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, ...'' को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद्द्वारा यह शपथपत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–

   (क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिया जाता है तो रू. 25.000,00 (पच्चीस लाख रूपये) तथा तीन/दो वर्षो तक प्रदाय किये जाने वाले स्टायपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त खण्ड में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाणपत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

   (घ) यह कि मुझे ज्ञात है कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :

1................................हस्ताक्षर

2................................ हस्ताक्षर

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..................................निवासी .... उपरोक्तानुसार बंधपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र के उल्लंघन की दशा में, बंधपत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.